

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की समानांतर विपणन प्रणाली

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

सरकारी तेल कंपनियों के अतिरिक्त, निजी पार्टियां द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम), आदेश 2000 में निर्धारित शर्तों को पूरा करके और लागू होने वाले विभिन्न अन्य अधिनियमों और आदेशों के प्रावधानों का पालन करके एलपीजी के समानांतर विपणन के रूप में देश में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का विपणन कर सकती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ बेईमान निजी पार्टियां समानांतर विपणन के रूप में उनके सञ्चालन के लिए लागू अधिनियमों और आदेशों के उल्लंघन में काम कर रही है। तदनुसार, जनता के सामान्य हित में, निम्नलिखित बिन्दुओं को सूचित किया जाता है:

- क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम्ओपीएनजी) समान्तर विपणन के रूप में परिचालन के लिए किसी भी निजी पार्टी को कोई लाइसेंस जारी नहीं करता है।
- ख) निजी पार्टियों को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और विपणन विनियम) आदेश, 2000 में उल्लिखित चार रेटिंग अभिकरणों में से किसी एक से रेटिंग प्रमाण पत्र प्राप्त करने और समय समय पर नवीनीकरण कराने कि आवश्यकता होती है। ये रेटिंग अभिकरण चार पैमाने पर अर्थात अच्छी, समाधानप्रद, कम जोखिम और अधिक जोखिम प्रदान करती है। पार्टी को प्राप्त रेटिंग व्यापार करने कि उसकी क्षमता का एक संकेतक है।
- ग) कुछ समानांतर विपणक वैध रेटिंग प्रमाण पत्र के बिना ही उपभोक्ताओं को एलपीजी/ ऑटो एलपीजी बेच रहे हो सकते है। कृपया ध्यान दे कि समान्तर विपणको को समाचार पत्र, लघुपत्रिका, पम्फलेट पर्वियों आदि में किसी भी विज्ञापन पर अपनी रेटिंग शब्दों अर्थात अच्छी, समाधानप्रद, कम जोखिम और अधिक जोखिम में इंगित करना आवश्यक है और रेटिंग अभिकरण द्वारा दिए गए रेटिंग प्रमाण पत्र को सहज रूप से प्रकाशित करना भी आवश्यक है।
- घ) समानांतर विपणक द्वारा उसके और उसके वितरक/ ग्राहक के बीच हुए वाणिज्यिक अनुबंध का उल्लंघन करने कि स्थित में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा, मंत्रालय किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से समानांतर विपणक या उसके वितरक को भुगतान की गयी राशि के लिए जिम्मेदार नहीं है।

इस नोटिस से आम जनता को एलपीजी के विपणन के बारे में एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है और समानांतर विपणक द्वारा किये गए किसी भी झूठे वादों, यदि कोई किया गया है, से सावधान रखना है।